# न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–310/2025 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कालूसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा पटवार हल्का बन का खेड़ा तह0 कोटड़ी उप तह0 बड़लियास जिला भीलवाड़ा
2. शंकर पिता हीरा तेली उम्र वयस्क निवासी बन का खेड़ा पटवार हल्का बन का खेड़ा तह0 कोटड़ी उप तह0 बड़लियास जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार बड़लियास, जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

**वादपत्र बाबत खातेदार घोषित कराये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा**
**वादपत्र अन्तर्गत धारा–88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–212 आर.टी.एक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा**

उपस्थित अधिवक्तागण–

1. श्री विपुल बाफना :– प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 02/11/2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विपुल बाफना द्वारा दिनांक 22.07.2025 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 310/2025 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम बन का खेड़ा पटवार हल्का बन का खेड़ा तहसील–कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा में साबिक बंदोबस्त की आराजी संख्या 157 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार धन्ना वल्द सोराम जाट निवासी बन का खेड़ा तथा आराजी संख्या 158 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भूमि भागीरथ वल्द सरूप जाट निवासी बन का खेड़ा के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी ।

साबिक बंदोबस्त की उक्त आराजी संख्या 157 से नवीन बंदोबस्त में आराजी संख्या 371 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एवं साबिक आराजी संख्या 158 से नवीन बंदोबस्त में आराजी संख्या 372 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा कायम किये गये ।

उक्त नवीन बंदोबस्त की आराजी संख्या 371 को प्रार्थी श्री कालूसिंह पिता मदनसिंह जी राजपूत के पूर्वजों द्वारा क्रय कर लेने से यह आराजी उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गयी जो वर्तमान में विरासत से प्रार्थी कालूसिंह राजपूत के नाम पर दर्ज रेकार्ड है । इसी प्रकार आराजी संख्या 372 को प्रार्थी शंकर पिता हीरा तेली के पूर्वजों द्वारा क्रय कर लेने से यह आरांजी उनके नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गयी जो वर्तमान में विरासत से प्रार्थी शंकर तेली के नाम पर दर्ज रेकार्ड है।

02/11/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त साबिक आराजी संख्या 157 के साबिक नक्शा ट्रेस में इस आराजी की उत्तरी मेड़ तक रास्ता साबिक आराजी संख्या 149 गेमु रास्ता स्थित था अर्थात् साबिक आराजी संख्या 149 गेमु रास्ता की सीमा साबिक आराजी संख्या 157 की उत्तर दिशा की मेड़ तक ही सीमित थी। उक्त साबिक आराजी नं. 157 व 158 के पश्चिमी भाग में कोई भी रास्ता राजस्व रेकार्ड नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं था।

उक्त आम रास्ता साबिक आराजी नंबर 149 से नवीन बंदोबस्त में आराजी संख्या 275 कायम किये गये जिसकी सीमा को सेटलमेंट विभाग द्वारा भूल व गलती से नवीन नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते को नवीन आराजी संख्या 372 के दक्षिण में स्थित पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले रास्तें आराजी संख्या 374 तक गलत तौर से बढ़ा दिया गया अर्थात् नवीन आराजी संख्या 275 गे.मु. रास्ते की सीमा को प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 371 व 372 के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण बढ़ा दिया गया जबकि मौके पर प्रार्थी कालूसिंह जी आराजी संख्या 371 के चारों ओर तारबंदी की हुई है और इसकी पश्चिमी मेड़ पर कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी शंकर तेली की आराजी संख्या 372 के पश्चिमी भाग में भी कोई रास्ता मौके पर स्थित नहीं है। इस समय प्रार्थीगण ने अपनी–अपनी आराजी में ज्वार की फसल बो रखी है।

उक्त प्रकार से प्रार्थीगण की आराजी संख्या 371 व 372 के पश्चिमी भाग में साबिक बंदोबस्त के नक्शा ट्रेस में कोई रास्ता मौजूद नहीं था किन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना आराजी संख्या 275 गेमु. रास्ता की सीमा को उत्तर से दक्षिण बढ़ाकर इसे प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 371 व 372 के पश्चिमी भाग में बढाकर आराजी नंबर 372 के दक्षिणी ओर स्थित आम रास्ता आराजी संख्या 374 तक बढ़ाकर दोनों रास्तों को नक्शा ट्रेस में जोड़ दिया गया जो सरासर गैर कानूनी है और इससे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ रहा है जिससे प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 371 व 372 के नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती करायी जाकर आराजी संख्या 275 गे.मु. रास्ता की सीमा को प्रार्थी कालूसिंह जी की आराजी संख्या 371 के उत्तर में स्थित आराजी संख्या 369 की दक्षिणी मेड़ तक ही सीमित कराया जाना आवश्यक है अर्थात् प्रार्थीगण की नवीन आराजी संख्या 371 व 372 के पश्चिमी भाग में नवीन रास्ता संख्या 275 को बढ़ाकर आराजी नंबर 372 के दक्षिण में स्थित रास्ते आराजी संख्या 374 से गैर कानूनी तरीके से जोड़ा गया है उसे इन्द्राज दुरूस्ती द्वारा हटाया जाकर नक्शा ट्रेस को दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है इस हेतु घोषणात्मक डिक्री बहक प्रार्थीगण पारित करायी जावे।

सेटलमेंट विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना आराजी संख्या 275 गेमु रास्ता की सीमा को उत्तर से दक्षिण बढ़ाकर इसे प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 371 व 372 के पश्चिमी भाग में बढाकर आराजी नंबर 372 के दक्षिणी ओर स्थित आम रास्ता आराजी संख्या 374 तक बढ़ाकर दोनों रास्तों को नक्शा ट्रेस में जोड़ दिये जाने से विपक्षी सं. 2 हम प्रार्थीगण की उक्त आराजियात सं. 371 व 372 के पश्चिमी भाग में जबरन रास्ता निकालने पर उतारू हो रहे हैं जबकि हमारी उक्त आराजियात के पश्चिमी भाग में कोई रास्ता कभी भी नहीं रहा है जिससे विपक्षीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि वे ग्राम बन का खेड़ा तहसील कोटड़ी में स्थित हम प्रार्थीगण की उक्त आराजियात सं. 371 व 372 के पश्चिमी भाग में किसी प्रकार से कोई रास्ता मौके पर जबरन नहीं निकाले तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा हम प्रार्थीगण को हमारे खातेदारी की उक्त आराजियात से बेदखल नहीं करे ।

02/1/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण ने उक्त अनवान व तथ्यों का एक वादपत्र न्यायालय आप में पेश कर दिया है जो ठोस कानूनी तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य डिक्री होगा। वादपत्र में वर्णित तथ्य इस प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग है।

प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अगर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे ग्राम बन का खेड़ा में स्थित हमारी उक्त आराजियात के पश्चिमी भाग में जबरन रास्ता निकाल देंगे एवं प्रार्थीगण को उक्त आराजियात से बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थीगण का यह वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा और पक्षकारान् के मध्य अनेक प्रकार की मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी ।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे ग्राम बन का खेड़ा तहसील–कोटड़ी में स्थित हम प्रार्थीगण की उक्त आराजियात सं. 371 व 372 के पश्चिमी भाग में किसी प्रकार से कोई रास्ता मौके पर जबरन नहीं निकाले तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा हम प्रार्थीगण को हमारे खातेदारी की उक्त आराजियात से बेदखल नहीं करे ।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी जाकर वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.07.2025 को जारी की गई।

पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में दिनांक 24.12.2025 को शीघ्र सुनवाई का प्रार्थनापत्र एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश किया गया। शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब निम्नानुसार हैः–

वादपत्र के चरण संख्या 01 अस्वीकार है। प्रार्थी /वादी रिकार्ड से सिद्ध करे कि ग्राम बन का खेड़ा की साबिक आराजी नम्बर 157 रकबा 4.06 बीघा चन्ना पिता सोराम जाट निवासी बन का खेड़ा व आराजी नम्बर 158 रकबा 8.06 बीघा भागीरथ पिता स्वरूप जाट निवासी बन का खेड़ा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

वादपत्र की चरण संख्या 2 अस्वीकार होकर निवेदन है कि वादी रिकॉर्ड से यह सिद्ध करे कि वक्त बन्दोबस्त आराजी संख्या 157 से नवीन बन्दोबस्त में आराजी संख्या 371 रकबा 5.05 बीघा तथा आराजी सख्या 158 से नवीन बन्दोबस्त में आराजी संख्या 372 रकबा 10.17 बीघा कायम किये गये।

वादपत्र की चरण संख्या 3 आंशिक रूप से स्वीकार है। ग्राम बन का खेड़ा की आराजी संख्या 371 कालूसिंह पिता मदनसिंह राजपूत व आराजी संख्या 372 शंकर पिता हीरा तेली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी रिकॉर्ड से यह सिद्ध करे कि उक्त आराजी उनके पूर्वजों द्वारा क्रय कर लेने व विरासत से उनके नाम दर्ज हुई है।

वादपत्र की चरण संख्या 4 अस्वीकार है। वादी रिकॉर्ड से यह सिद्ध करे कि साबिक आराजी संख्या 149 गै0मु0 रास्ता साबिक आराजी नम्बर 157 की उतरी मेड़ तक ही सीमित था।

वादपत्र की चरण संख्या 5 गलत होकर अस्वीकार है। भू–प्रबन्ध क्रियाओं के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। नवीन भू–प्रबन्ध की आराजी संख्या 371 व 372 के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण तक भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार आराजी नम्बर 275 बिलानाम कायम किया गया। वादी रिकॉर्ड से यह सिद्ध करे कि साबिक आराजी नम्बर 149 से ही नवीन आराजी नम्बर 275 कायम किये गये।

02/11/2026

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र की चरण संख्या 6 गलत होकर अस्वीकार है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार ही रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वादी ने वादपत्र में कही यह अंकित नहीं किया कि उनकी कितनी खातेदारी भूमि कम कर दी गई है। यह भी गलत है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के आराजी नम्बर 275 की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज की गई है।

वादपत्र की चरण संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आराजी नम्बर 275 रकबा 0.6799 हैक्टयर किस्म बंजड़ सरकारी भूमि होकर वादीगणों ने इस पर रास्ता अंकित करने का तथ्य बताया जो अस्वीकार है।

बिन्दु संख्या 8 के संबंध में श्रीमान को अलग से जवाब तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार निवेदन है कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर श्रीमान द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कराना फरमावे।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की ओर से जवाब दिनांक 02.01.2026 को पेश किया गया जो निम्न प्रकार है:–

वादपत्र के चरण संख्या (1) अस्वीकार है। प्रार्थी वादी रिकॉर्ड से सिद्ध करें कि ग्राम बन का खेड़ा की साबिक आराजी नं. 157 रकबा 4.06 बीघा धन्ना पिता सोराम जाट निवासी बन का खेडा व आ.नं. 158 रकबा 8.06 बीघा भागीरथ पिता स्वरूप जाट निवासी बन का खेड़ा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी।

वादपत्र की चरण संख्या (2) अस्वीकार होकर निवेदन है कि वादी रिकॉर्ड से यह सिद्ध करे कि उक्त बन्दोबस्त आ.नं. 157 से नवीन बन्दोबस्त में आराजी नं. 371 रकबा 5.05 बीघा तथा आ. नं. 158 से नवीन बंदोबस्त में आ.नं. 372 रकबा 10.17 बीघा कायम किये गये।

वादपत्र की चरण संख्या (3) आंशिक रूप से अस्वीकार है। ग्राम बन का खेड़ा की आ.नं. 371 कालूसिंह पिता मदनसिंह राजपूत व आ.नं. 372 शंकर पिता हीरा तेली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी यह सिद्ध करे कि उक्त आराजी उनके पूर्वजों द्वारा क्रय कर लेने व विरासत से उनके नाम दर्ज हुई है।

वादपत्र की चरण संख्या (4) अस्वीकार है। वादी रिकॉर्ड से सिद्ध करे कि साबिक आ.नं. 149 गै.मु. रास्ता साबिक आ.नं. 157 की उतरी मेड तक ही सीमित था।

वादपत्र की चरण संख्या (5) गलत होकर अस्वीकार है। भू–प्रबंध क्रियाओं के दौरान भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। नवीन भू–प्रबंध की आराजी नं. 371 व 372 के पश्चिमी भाग में उतर से दक्षिण तक भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार आ.नं. 275 बिलानाम कायम किया गया। वादी रिकॉर्ड से यह सिद्ध करे कि साबिक आराजी नं. 149 में ही नवीन आराजी नं. 275 कायम किये गये।

वादपत्र की चरण संख्या (6) गलत होकर अस्वीकार है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा मौके की स्थिति अनुसार ही रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वादी ने वादपत्र में कही यह अंकित नहीं किया कि उनकी कितनी खातेदारी भूमि कम कर दी गई है। यह भी गलत है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के आ.नं. 275 की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज की गई है।

वादपत्र की चरण संख्या (7) गलत होकर अस्वीकार है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आ.नं. 275 रकबा 0.6799 हैक्ट. किस्म बंजड़ सरकारी भूमि होकर वादीगणों ने इस पर रास्ता अंकित करने का तथ्य बताया है, जो अस्वीकार है।

बिन्दु संख्या (8) के संबंध में श्रीमान को अलग से जवाब तैयार कर प्रस्तुत किया गया है।

इस प्रकार निवेदन है कि प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर श्रीमान द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कराना फरमावें।

1/1/2026

सहायक कलक्टर

उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस का मनन एवं चिंतन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर निर्णय किया जाना आवश्यक है:-

**1. प्रथम दृष्टया मामला :-**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम बन का खेड़ा तहसील कोटड़ी की वादग्रस्त आराजी संख्या 371 व 372 साबिक आराजी संख्या 157 व 158 से निर्मित है। हाल आराजी संख्या 371 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा साबिक आराजी संख्या 157 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा व हाल आराजी संख्या 372 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा साबिक आराजी संख्या 158 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा से निर्मित है। साबिक राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड में रकबा वृद्धी का कारण पूर्व की जरीब 152.5 फीट के स्थान पर हाल बन्दोबस्त में 132 फीट की जरीब उपयोग लिया जाना रहा है। मेवाड़ रियासत के दौरान किये गये बन्दोबस्त सम्वत् 1983 सन् 1927 में ग्राम बन का खेड़ा की आराजी संख्या 149 साबिक आराजी संख्या 157 की उत्तर सरहद पर बंद हो रही थी। साबिक आराजी संख्या 149 राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज था, जिसे हाल बन्दोबस्त में आराजी संख्या 275 दर्ज किया जाकर साबिक आराजी संख्या 157 व 158 के हाल आराजी संख्या 371 व 372 की पूर्वी सरहद से निरन्तर कायम करते हुए आराजी संख्या 374 तक गलत रूप से बढ़ा दिया गया है। साथ ही साबिक आराजी संख्या 149 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा किस्म गैर मुमकीन रास्ता को हाल आराजी संख्या 275 किस्म बंजड़ प्रथम रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा दर्ज कर दी गई है। राजस्व नक्शे में साबिक आराजी संख्या 149 हाल आराजी संख्या 275 की दक्षिणी सरहद पर साबिक आराजी संख्या 157 व 158 हाल आराजी संख्या 371 व 372 की सरहद में बढ़ा दिया गया है, जिसका भूप्रबन्ध बन्दोबस्त को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं था। अतः भूप्रबन्ध बन्दोबस्त द्वारा की गई उक्त उपरोक्त कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी प्रमाणित होता है।

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में साबिक आराजी संख्या 157 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा धन्ना वल्द सोराम जाट व साबिक आराजी संख्या 158 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा भागीरथ वल्द स्वरूप जाट से वर्तमान खातेदारान् के पूर्वाधिकारियों द्वारा क्रय किया जाना अंकित किया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार क्रेता क्रय की गई भूमि की हद तक ही अपने अधिकार रखने में सक्षम है। क्रेता द्वारा राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया है। क्रेता वादग्रस्त भूमि के पूर्वाधिकारियों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार किसी प्रकार की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीगण के पूर्वाधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर क्रय की है और वे तत्समय के राजस्व रिकॉर्ड की हद तक ही अपने विक्रय पत्र के अनुरूप घोषणा प्राप्त करने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के हकदार है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है।

**2. सुविधा का संतुलनः-**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को मौके पर हाल आराजी संख्या 371 व 372 के खातेदारों द्वारा कृषि उपयोग में ली जा रही है। वर्तमान में मौके पर उनका निरन्तर कब्जा काश्त है। तहसील कोटड़ी द्वारा उनके विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारियों के समय से ही साबिक आराजी संख्या 157 व 158 के मुकाबले मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। 100 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त होने से प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु बखूबी प्रमाणित होता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण का कब्जा काश्त वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुरूप ही स्वीकार किया जा सकता है। प्रार्थीगण को राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। एक अतिक्रमणकारी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने से किसी प्रकार के हक अधिकार प्राप्त नहीं करता है। प्रार्थीगण के राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण का राजकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण भी है तो उससे उनको किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

**3. अपूरणीय क्षति :–**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में सम्वत् 1983 सन् 1927 से मौके पर अपने पूर्वाधिकारियों से कब्जा प्राप्त कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। यदि प्रार्थीगण को उनके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित होता है।

पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपनी खातेदारी की भूमि की हद तक ही काश्त की जा सकती है। उनके द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से राज्य सरकार को अतिक्रमण हटाने की अधिकारिता प्रभावित नहीं होती है। राज्य सरकार की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से किसी व्यक्ति को यदि बेदखल नहीं किया जाता है तो अन्य आस–पड़ोस के व्यक्तियों को अपूरणीय क्षति होगी क्योंकि वादग्रस्त भूमि राजस्व नक्शे के अनुसार एक रास्ते के रूप में है जिसे मुख्य सड़क से आम खातेदार/काश्तकार अपनी कृषि आराजियात पर पहुंच कायम करते है और ऐसे खातेदारों की पहुंच हेतु राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है। अतिक्रमण को हटाने से आम खातेदारों को सुविधा प्राप्त होगी और उनको हो रही अपूरणीय क्षति भी समाप्त होगी। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में विफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व नक्शे में रास्तें के रूप में कायम है। जिसका उपयोग आम खातेदार अपनी कृषि आराजियात पर पहुंच हेतु उपयोग में लेते है जिन्हे पहुंच का सुगम मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आम जनता के हित में उचित है। अतः प्रार्थीगण अपने पक्ष में अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में असफल रहे है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहे है। अतएव

## –: आदेश :–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है और प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 23.07.2025 को समाप्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।

29/01/2026

(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा